

GCMs-2021/16

लय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

सू० न०:- १ / 2021

तारीखरजू:- 11.1.2021


उनवान:- भँवराराम बनाम धीरसिंह वगै०

दावा वावत स्थाई निषेधाज्ञा 188 आर.टी.एक्ट

नांक	फर्द अहकाम	
------	------------	--

1-21	<p>वादी की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने दावा वावत स्थाई निषेधाज्ञा 188 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्च पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 16.02.2021 को पेश हो।</p>	
------	--	--

140-43
11.1.2021


 (दुर्गा प्रसाद मीना)
 उप जिला कलक्टर
 टोडाभीम जिला करौली


6.2.21	<p>वादी वकील उप०/प्रतिवादीगण की ओर से श्री मदनमोहन शर्मा निज वकालतनामा पेश किया। जबाब पेश कले दिनांक 5.4.21 को पेश हो।</p>	
--------	--	--



1.4.21	<p>वकुलाम उप०/जबाब दावा पेश कले कि 18.5.21 को पेश हो।</p>	
--------	---	--



4.21	<p>वादी वकील द्वारा तलब करने के पार्शनापत्र पेश करने पर पत्रावली तालब की गई। वादी वकील ने कथन किया कि वादी इस मुकदमे को छोड़ लेना नहीं चाहता है। Not-Press कर खारिज करने का कथन किया। अतः यह दावा Not-Press में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल नुमा होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।</p>	
------	--	--


 (दुर्गा प्रसाद मीना)
 उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
 जिला-करौली

Not-press
1
(2) 9-1-21